राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010
फोन (0744)–.2473003 फेक्स (0744)–2473033

क्र0: एफ(2) / प्रबंध मण्डल–44 / 2023 / 1625-44 दिनांकः 22/5/2023

माननीय सदस्य,
प्रबंध मण्डल,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

विषय : प्रबंध मण्डल की 44वीं नियमित बैठक के कार्यवाही विवरण के संबंध में ।

महोदय / महोदया

दिनांक 18.05.2023 (गुरुवार) को सम्पन्न हुई राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की 44वीं प्रबंध मण्डल की नियमित बैठक के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी कर इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
कुलसचिव एंव सचिव
प्रबंध मण्डल

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	: 44वीं बैठक
स्थान	: कुलपति सचिवालय का सभा कक्ष
दिनांक	: 18 मई 2023 (गुरूवार)
समय	: प्रात : 11.30 बजे

दिनांक 18.05.2023 को सम्पन्न हुई राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 44वीं नियमित बैठक के कार्यवाही विवरण

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.05.2023 को सम्पन्न हुई राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 44वीं नियमित बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहेः–

1.	श्री रामनारायण मीणा	सदस्य
2.	श्री मनीष गुप्ता,	सदस्य (प्रतिनिधि,प्रमुख शासन सचिव, तक0शि0)
3.	श्री लोकेन्द्र सिंह	सदस्य (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त)
4.	श्री संत कुमार चौधरी	सदस्य
5.	श्री संजीव बिहारी	सदस्य
6.	प्रो. ए.के. द्विवेदी	सदस्य
7.	प्रो. आर.एस. मीना	सदस्य
8.	डा. रमेश पचार	सदस्य
9.	डा. रवि गुप्ता	सदस्य
10.	डा. ओंकार नाथ चतुर्वेदी	सदस्य
11.	प्रो. जे.के. शर्मा	सदस्य
12.	डा. शरद माहेश्वरी	सदस्य
13.	डॉ. हरीश शर्मा	सदस्य
14.	श्रीमती संजु तंवर	सदस्य
15.	श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा,	सचिव

सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करने के पश्चात समस्त माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्रगान का गायन किया गया। सचिव, प्रबंध मण्डल द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेने के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यसूची विधिवत रूप से प्रारम्भ की गई।

प्र.म. 44.1 **प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।**

(कुलसचिव)

प्रबंध मण्डल के सदस्यों की वर्तमान सूची माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। प्रबंध मण्डल के सदस्य प्रो0 ए.ए. हनफी के असामयिक निधन पर प्रबंध मण्डल के सदस्य शोक व्यक्त करते हैं। **(अनुलग्नक 44.1 पृष्ठ 1–2)**

संकल्प **अवलोकन किया गया।**

प्र.म. 44.2 दिनांक 24 दिसम्बर 2022 को हुई प्रबंध मण्डल की 42 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना। (अनुलग्नक 44.2 पृष्ठ संख्या 3 से 9)

(कुलसचिव)

कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्र.म. 44.3 दिनांक 28 जनवरी 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 43 वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना। (अनुलग्नक 44.3 पृष्ठ संख्या 10 से 15)

(कुलसचिव)

कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्र.म. 44.4 दिनांक 24 दिसम्बर 2022 को हुई प्रबंध मण्डल की 42 वीं बैठक के कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

(कुलसचिव)

क्रम संख्या	कार्यसूची विवरण	
प्र.म. 42.1	प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।	अवलोकन किया गया
प्र.म. 42.2	दिनांक 23 नवम्बर 2022 को हुई प्रबंध मण्डल की 41 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	अनुमोदन किया गया
प्र.म. 42.3	दिनांक 23 नवम्बर 2022 को हुई प्रबंध मण्डल की 41 वीं बैठक के कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ	कार्यालय आदेश संख्या 8830–37 दिनांक 24.12.2022 जारी किया गया **(अनुलग्नक 44.4.1 पृष्ठ संख्या 16)**
प्र.म.42.4	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतनमान में केरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत ग्रेड पे 6000–7000 तथा 7000–8000 का लाभ दिये जाने हेतु स्क्रीनिंग–सह–मूल्यांकन समिति की अनुशंसाऐं अनुमोदनार्थ ।	कार्यालय आदेश क्रमांक 8806–13 दिनांक 24.12.2022**(अनुलग्नक 44.4.2 पृष्ठ संख्या 17)** एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 8814–21 दिनांक 24.12.2022 जारी किये गये। **(अनुलग्नक 44.4.3 पृष्ठ संख्या 18)**

उक्त कार्यपालना रिपार्ट माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प अनुमोदन किया गया।

प्र.म. 44.5

दिनांक 28 जनवरी 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 43 वीं विशेष बैठक के कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

(कुलसचिव)

क्रम संख्या	कार्यसूची विवरण	
प्र.म.43.1(विशेष)	परीक्षा वर्ष 2021 में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को द्वादश दीक्षान्त समारोह में उपाधि अनुग्रहित करने के क्रम में।	अनुमोदन किया गया
प्र.म.43.2(विशेष)	द्वादश दीक्षान्त समारोह में कुलाधिपति स्वर्ण पदक व कुलपति स्वर्ण पदक, पात्र छात्रों को प्रदान किये जाने का अनुमोदन।	अनुमोदन किया गया

उक्त कार्यपालना रिपार्ट माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प

अनुमोदन किया गया।

प्र.म. 44.6

दिनांक 28.03.2023 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 28वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन(अनुलग्नक 44.6 पृष्ठ संख्या 19 से 54)

वित्त नियंत्रक

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प

वित्त समिति की 28वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु 28.02 पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 23.11.2022 को सम्पन्न हुई प्रबंध मण्डल की 41वीं बैठक में एजेण्डा संख्या 41.05 पर 27वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 27.10 के समक्ष पारित संकल्प संख्या 1 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। शेष बिन्दु अवलोकन कर अनुमोदित किये गये।

प्र.म. 44.7

सत्र 2023–24 से सिविल इंजीनियरिंग विभाग, यूडी, आरटीयू कोटा में M.Tech ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग शुरू करने का प्रस्ताव।

(डीन, एफ.ए.)

संलग्न आईओएन (संख्या 11842–45 दिनांक 16–03–2023) के संदर्भ में, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आरटीयू कोटा में सत्र 2023–24 से M.Tech Transportation Engineering शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है–

1. मौजूदा समय में, देश में राजमार्ग और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बहुत बल दिया जा रहा है। इसलिए, वर्तमान एवं आने वाले समय में ट्रांसपोटेशन इंजीनियरों के लिए रोजगार की प्रबल

संभावनाएं हैं। सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आरटीयू कोटा में इस तरह के कोर्स की शुरुआत से देश में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के उभरते क्षेत्र में क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।

2. हाल ही में एक फैकल्टी ने आईआईटी रुड़की से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी की है तथा एक अन्य फैकल्टी की पीएचडी भी इसी क्षेत्र में निकट भविष्य में आईआईटी रुड़की से पूरी होने की संभावना है।
3. उपरोक्त के अलावा, जियोटेक इंजीनियरिंग के कुछ विषय भी परिवहन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। विभाग में वर्तमान में चार संकाय सदस्य हैं जो जियोटेक इंजीनियरिंग में पीएचडी हैं। इस प्रकार, विभाग के पास एम.टेक. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के शिक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में संकाय सदस्य उपलब्ध हैं।
4. सिविल इंजीनियरिंग विभाग आरटीयू कोटा के फैकल्टी सदस्य सरकारी एजेंसियों (PMGSY, PWD, RIICO, State Local Authorities आदि) के विभिन्न सड़क प्रस्तावों की तकनीकी जांच के साथ–साथ डिजाइन और डीपीआर डेवलपमेंट में भी शामिल रहे हैं।
5. विश्वविद्यालय के पास पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना पहले से ही उपलब्ध है और इसे आरटीयू के BOS, Faculty of Engg & Architecture, Academic Council /BoM द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा वर्तमान में यह कोर्स पहले से ही विश्वविद्यालय के दो संबद्ध महाविद्यालयों में चल रहा है।

अतः सिविल इंजीनियरिंग विभाग आरटीयू कोटा में शैक्षणिक सत्र 2023–24 से 12 सीटों के साथ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में M.Tech शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तावित है। **(अनुलग्नक 44.7 पृष्ठ संख्या 55 से 85)**

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।**

प्र.म. 44.8 **विश्वविद्यालय शिक्षकों को ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा जारी डिग्री (विनियम) अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 पर वित्त विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार 7वें वेतनमान की अर्हताओं से सी.ए.एस. के तहत प्रमोशन किये जाने के संबंध में अनुमोदन बाबत।**

(समन्वयक आईक्यूएसी.)

विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक एफ(4)ग्रेड–1 / 2022 / 2497 दिनांक 02.07.2022 के माध्यम से शिक्षकों का 7वें वेतनमान की अर्हताओं से सी.ए.एस. के तहत प्रमोशन किए जाने की तिथि निर्धारण के संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से अनुमति चाही गयी थी।

उक्त के क्रम में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति अनुसार दिनांक 01.03.2019 से 7वें वेतनमान की अर्हताओं से सी.ए. एस. के तहत प्रमोशन किए जाने हेतुं सहमति पत्र क्रमांकः एफ 22(7)त. शि./2009–I दिनांक 02.12.2022 द्वारा जारी किए जा चुके है। **(अनुलग्नक 44.8. पृष्ठ संख्या 86 से 136)**

अतः विश्वविद्यालय शिक्षकों को ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा जारी डिग्री (विनियम) अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 पर वित्त विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार दिनांक 01.03.2019 से 7वें वेतनमान की अर्हताओं से सी.ए.एस. के तहत प्रमोशन किये जाने हेतुं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।**

प्र.म. 44.9 **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के रेगूलेशन दिनांक 01.03.2019 के अनुसार संकाय सदस्यों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के प्रारूप का अनुमोदन किये जाने के संबंध में।**

(समन्वयक आईक्यूएसी.)

(*Annexure C:* Performa for Annual Confidential Report (ACR) for faculty members. **(अनुलग्नक 44.9 पृष्ठ संख्या 137 से 142)**

Annexure B: AICTE regulations on pay scales, service conditions and minimum qualifications for the appointment of teachers in technical institutions and measures for the maintenance of standards in technical education.) **(अनुलग्नक 44.8. पृष्ठ संख्या 86 से 136)**

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।**

प्र.म. 44.10 **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के रेगूलेशन दिनांक 01.03.2019 के अनुसार कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत पदोन्नति के लिए प्रफोर्मा एवं प्रफोर्मा के साथ संस्थागत स्तर, विभागीय स्तर एवं सामाजिक गतिविधियों की सूची का अनुमोदन**

(समन्वयक आईक्यूएसी.)

(*Annexure 44.1* Performa for Promotion under Career Advancement Scheme (CAS) for faculty members. **(अनुलग्नक 44.10 पृष्ठ संख्या 143 से 159)**

Annexure B: AICTE regulations on pay scales, service conditions and minimum qualifications for the

appointment of teachers in technical institutions and measures for the maintenance of standards in technical education.)

(अनुलग्नक 44.8. पृष्ठ संख्या 86 से 136)

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्र.म. 44.11 **ए.आई.सी.टी.ई द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.05.2020 के मुद्दा संख्या 13 के स्पष्टीकरण पर वित्त विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार दिनांक 01.03.2019 से 28.02.2022 तक छठें वेतनमान की अर्हतओं से सी.ए.एस. के तहत प्रमोशन हेतु विश्वविद्यालय शिक्षकों को विकल्प दिये जाने के संबंध में अवलोकन बाबत।**

(समन्वयक आईक्यूएसी.)

विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक एफ(4)स्थापना/सी.ए.एस./2022/13305 दिनांक 16.03.2022 द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को ए.आई.सी.टी.ई, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20.05.2020 के मुद्दा संख्या 13 के स्पष्टीकरण के अनुसार छठें वेतनमान से सी.ए.एस. के तहत प्रमोशन किए जाने की अवधि बढ़वाने/विकल्प दिए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। तद्नानुसार तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर पत्र क्रमांक एफ 22(7)तशि/2009-I दिनांक 27.04.2022 के माध्यम से विश्वविद्यालय को निम्नानुसार अवगत करवाया गया।

"Option under item no. 13 of notification dated 20.05.2020 for promotion under 6th CAS is available up to 28.02.2022 only subject to the condition that formal order for grant of CAS of 7th CPC is issued by AD as per the provisions of regulations dated 01.03.2019 read with subsequent clarification dated 20.05.2020."

उक्त के क्रम में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अनुसार दिनांक 01.03.2019 से 7वें वेतनमान की अर्हताओं से सी.ए.एस. के तहत प्रमोशन किये जाने के संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02.12.2022 को आदेश जारी किये जा चुके है। अतः तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांकः एफ 22(7)त.शि./2009-I दिनांक 27.04.2022 के बिन्दु संख्या 4 (संलग्न) में अकिंत वित्त विभाग की टिप्पणी के अनुसार ए.आई.सी.टी.ई की अधिसूचना दिनांक 20.05.2020 के मुद्दा संख्या 13 के स्पष्टीकरण के

अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षकों को दिनांक 01.03.2019 से 28.02.2022 तक छठें सी.ए.एस. के तहत प्रमोशन हेतु विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। **(अनुलग्नक 44.11 पृष्ठ संख्या 160 से 172)**

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।**

प्र.म. 44.12 **कम्प्युटर लेब एवं विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के लिए एयर कंडीशनर की खरीद किये जाने के संबंध में प्रस्तावत अनुमोदन बाबत।**

(डीन, एफ.ए.)

विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विभाग में 2015 में स्थापित वीआरएफ यूनिट टाइप एयर कंडीशनर काम करने की स्थिति में नहीं होने के कारण कंप्यूटर लैब काम करने की स्थिति में नहीं हैं। एसी की मरम्मत के लिए गठित समिति की सिफारिश के अनुसार वीआरएफ टाइप पुराने एयर कंडीशनर की मरम्मत के स्थान पर नये एयर कंडीशनर खरीदना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। **(अनुलग्नक संख्या 44.12.1 पृष्ठ–173)** तकनीकी समिति **(अनुलग्नक संख्या 44.12.2 पृष्ठ संख्या 174–175)** की सिफारिश के अनुसार, कंप्यूटर लैब एवं विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता है।

चूंकि वित्त विभाग के मितव्ययता परिपत्र दिनांक 03/09/2020 के बिंदु संख्या 7 (ii) के अनुसार आवश्यक नई वस्तुओं को केवल प्रबंध मण्डल से अनुमोदन के उपरान्त ही खरीदा जा सकता है। **(अनुलग्नक 44.12.3 संख्या पृष्ठ 176–179 पर संलग्न)**

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही, भविष्य में विश्वविद्यालय के उपापन संबंधी ऐसे प्रकरण, जिसमें प्रबंध मण्डल का पूर्वानुमोदन आवश्यक है, का नियमानुसार उपापन करने की स्वीकृति हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।**

प्र.म. 44.13 **विश्वविद्यालय में योजना एवं विकास के लिए कार्य व्यवस्थार्थ डीन, प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट के पद का सृजन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव एवं संबंधित गतिविधियों का अनुमोदन बाबत ।**

(स्थापना/कुलपति सचिवालय)

तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में सुव्यवस्थित रूप से कार्य योजनाएं तैयार करने एवं कंसलटेन्सी को बढ़ावा दिये जाने के लिए विश्वविद्यालय के विकास एवं भविष्य की योजना के लिए डीन, प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट

का पद सृजन करते हुए कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाना प्रस्तावित है। जिससे विश्वविद्यालय में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष परियोजना एवं नीति बनाये जाने में सहायता प्राप्त होगी एवं साथ ही विकास एवं योजना तैयार कर स्थिरिता लाई जा सकेगी।

जिस प्रकार से देश के अन्य प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों जैसे, आई. आई.टी., एन.आई.टी., केन्द्रीय तकनीकी संस्थानों, दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय में की गयी व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय के किसी आचार्य/सह–आचार्य का योजना, एवं विकास हेतु अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य व्यवस्थार्थ डीन नामित किया जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

डीन, प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियां संलग्न है। **(अनुलग्नक संख्या 44.13 पृष्ठ संख्या 180)**

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प — **प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।**

प्र.म.टी 44.1 — **दिनांक 15.05.2023 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की 37वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन हेतु।**

दिनांक 15.05.2023 को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की 37वीं विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
(अनुलग्नक संख्या टी.44.1 पृष्ठ संख्या 1 से 13)

संकल्प — **प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।**

प्र.म.टी 44.2 — **श्री मनोज कुमार जांगिड, सहायक कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17ए के अंतर्गत निर्णय बाबत्।**

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र कमांक एफ 3(9)तशि/2019 दिनांक 21.04.2023 के द्वारा परिवाद संख्या एच–3671/2019 के संदर्भ में विश्वविद्यालय के कार्मिक श्री मनोज कुमार जांगिड, सहायक कुलसचिव के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17ए के तहत अनुसंधान/जांच

किये जाने हेतु पूर्वानुमति बाबत विश्वविद्यालय की टिप्पणी चाही गई है।

उक्त धारा में यह वर्णित किया गया है कि यहां कथित अपराध किसी लोकसेवक द्वारा अपने अधिकारिक कार्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिये गये निर्णय से सम्बन्धित हो, के सम्बन्ध में जांच करने से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति अनिवार्य है। विश्वविद्यालय के पारित Non Teaching Statutes के नियम 12 के तहत सक्षम अधिकारी Schedule-III के तहत प्रबन्ध मण्डल है।

प्रबंध मण्डल की 42वीं बैठक दिनांक 24.12.2022 में सर्वसम्मति से श्री मनोज कुमार जांगिड, सहायक कुलसचिव को प्रकरण में दोष मुक्त करने का संकल्प पारित किया गया, जिसकी अनुपालना में श्री मनोज कुमार जांगिड, सहायक कुलसचिव को विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक एफ(4)ग्रुप–1/शिकायत/2022/8830–37 दिनांक 24.12.2022 जारी कर दोष मुक्त कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 17–ए के तहत विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
(अनुलग्नक संख्या टी. 44. 2 पृष्ठ संख्या 14 से 21)

संकल्प

प्रकरण में श्री मनोज कुमार जांगिड़, सहायक कुलसचिव के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत विस्तृत विभागीय जांच संपादित किये जाने के उपरान्त माननीय कुलाधिपति, राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत प्रबंध मण्डल की 42वीं बैठक में श्री जांगिड़ पर अधिशेष निधियों के विनिवेश संबंधी प्रकरण में श्री जांगिड पर किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं होने के फलस्वरूप उन्हें को दोषमुक्त किया जा चुका है।

अतः माननीय सदस्यों द्वारा प्रकरण में विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17A के तहत अनुसंधान/जांच किये जाने हेतु पूर्वानुमोदन नहीं दिये का निर्णय लिया गया।

प्र.म.टी 44.3

Guidelines under Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 in Rajasthan Higher Technical Quality Improvement Scheme.

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक F 11(4)T.E. /2001 Part Vo-1 दिनांक 03.05.2023 के द्वारा उक्त विषय में

दिशा निर्देश/नियम प्राप्त हुए हैं। उक्त नियमों के अनुसार प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल में अंगीकार किया जाना आवश्यक है। **(अनुलग्नक संख्या टी.44.3 पृष्ठ संख्या 22 से 24)**

अतः उक्त संबंधित पत्र अवलोकनार्थ एवं दिशा निर्देश/नियम अंगीकार करने हेतु माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है।

संकल्प

उक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही, निर्णय लिया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि संकाय सदस्यों का मानदेय भी उक्त दिशा निर्देशों/नियमों के अनुसार समान रूप से किया जावे।

प्र.म.टी 44.4

माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या 151 के क्रम में वित्त (नियम) अनुभाग, राजस्थान सरकार के दोनों आदेशों क्रमांक प.13(12) वित्त (नियम)/2021 दिनांक 20.04.2023 को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा एवं विश्वविद्यालय के संघठक महाविद्यालयों (अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर, झालावाड़, धौलपुर, करौली, बांरा एवं माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल व इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा) में अंगीकृत करने के सम्बंध में।

माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या 151 में समस्त राजकीय उपक्रमों/ स्वायत्तशाषी निकायों/विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की गई है। इसकी पालना में वित्त (नियम) अनुभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.13(12) वित्त (नियम)/2021 दिनांक 20.04.2023 द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/ स्वायत्तशाषी निकायों/विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं में, जहां एनपीएस लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के सम्बंध में तथा आदेश क्रमांक प. 13(12) वित्त (नियम)/ 2021 दिनांक 20.04.2023 द्वारा जहां सीपीएफ/ईपीएफ योजना लागू थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्देश जारी किये गये हैं। **(अनुलग्नक संख्या टी. 44.4.1 पृष्ठ संख्या 25 से 41)** संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार (प्रशासनिक विभाग) द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर पत्र क्रमांक एफ5(92) त.शि./93 पार्ट दिनांक 26.04.2023 से विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। **(अनुलग्नक संख्या टी.44.4.2 पृष्ठ संख्या 42 से 43)**

वित्त विभाग द्वारा जारी उक्त दोनों आदेशों दिनांक 20.04.2023 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ पेंशन निधि में जमा होने वाली राशि से ही दिया जायेगा। पेंशन परिलाभों के भुगतान में राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अनुदानित संस्थाओं के

अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से पेंशन निधि में राशि की व्यवस्था की जायेगी। ऐसी संस्थाऐं राज्य सरकार से पेंशन परिलाभों के भुगतान हेतु कोई मांग नहीं करेंगी।

उक्त निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय के समस्त सेवारत एवं सेवानिवृत कार्मिकों (जिन पर सीपीएफ एवं एनपीएस लागू है) को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिनांक 15.05.2023 तक प्रस्तुत करने हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 899–906 दिनांक 28.04.2023 **(अनुलग्नक संख्या टी.44.4.3 पृष्ठ संख्या 44)** प्रबंध मण्डल के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के उक्त दोनों आदेशों दिनांक 20.04.2023 के बिंदु संख्या 1.4 के अनुसार इन आदेशों को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में एवं संघटक महाविद्यालयों में (प्राचार्यो से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार) अंगीकृत करने हेतु प्रबंध मण्डल (सक्षम स्तर) द्वारा प्रशासनिक निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

अतएव, प्रकरण प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प

प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श कर वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के उक्त दोनों आदेशों दिनांक 20.04.2023 को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही, माननीय सदस्यों का यह मत था कि विश्वविद्यालय पूर्णतया राज्य वित्त पोषित संस्था है, अतः विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के परिलाभों के भुगतान हेतु राज्य सरकार से समय–समय पर वांछित राशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जावें तथा नवीन पेंशन योजना के अर्न्तगत सेवारत कार्मिकों के नियोक्ता अंशदान की राशि स्वयं कार्मिक द्वारा ब्याज सहित जमा करवाने की शर्त व्यावहारिक नहीं है। अतः इस संबंध में राज्य सरकार से शिथिलता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जावे।

प्र.म.टी 44.3(R)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के संघटक महाविद्यालयों के शैक्षणिक / अशैक्षणिक कार्मिकों का आमेलन करने के सबंध में जारी आदेश कमांक 10833–43 दिनांक 14.02.2023 की पुष्टि के संबंध में

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ:23(8) / त.शि. / 2008–। जयपुर दिनांक 01 नवम्बर, 2021

द्वारा (06) अभियांत्रिकी महाविद्यालयों–अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर, अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर, अभियांत्रिकी महाविद्यालय करौली, अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बारां एवं एम.एल.वी.टी. एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाडा को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का संघटक महाविद्यालय बनाया गया है। उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या–16 द्वारा प्रोफेसर बी.एम. शर्मा की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति की सी.ई.जी., जयपुर में आयोजित बैठक दिनांक 09.11.2022 एवं दिनांक 10.02.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार संघटक अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़, भरतपुर एवं भीलवाड़ा के शैक्षणिक / अशैक्षणिक कार्मिकों (जो स्कीनिंग समिति की बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत प्रथम चरण में सही पाये गये थे) को विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ(4) ग्रेड–02 / स्था0 / 2023 / 10833–43 दिनांक 14.02.2023 द्वारा आमेलन करने की स्वीकृति जारी कर राज्य सरकार को की गई कार्यवाही से सूचित किया गया।
(अनुलग्नक संख्या टी (आर).44.1 पृष्ठ संख्या 45 से 50)

अतः उक्त आदेश प्रबंध मंडल के माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प **अवलोकन किया गया।**

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(प्रो. एस. के. सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
कुलसचिव एवं सचिव
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा